न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 31/2021
दायर दिनांक :– 01.04.2021

अनवान

1. दुर्गेश पिता गोपाल उर्फ रामपाल लुहार नि. बरोदा तह. जहाजपुर
2. विमला पुत्री गोपाल उर्फ रामपाल लुहार नि. बरोदा तह. जहाजपुर
3. छोटी देवी बेवा गोपाल उर्फ रामपाल लुहार नि. बरोदा तह. जहाजपुर

वादीगण..........

बनाम

1. कैलाशी पिता लादू लुहार नि. बरोदा तह. जहाजपुर
2. राधाकिशन पिता नन्दा गुर्जर नि. देवनगर तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण...............

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री अखलाक खान, एडवोकेट वादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक २० .06.2022

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम बरोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 844/1, 1004/848 कुल किता 02 रकबा 10–00 बीघा कृषि भूमि वादीगण सं. 1 व 2 के पिता व वादी सं. 3 के पति रामपाल पिता लादू लुहार के नाम खातेदारी से व अन्य सहखातेदार कैलाशी पिता लादू लुहार 1/2 नि. बरोदा एवं राधाकिशन पिता नन्दा गुर्जर 1/2 नि. देवनगर के नाम सहखातेदारी से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। ग्राम बरोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 1008/848 कुल किता 01 रकबा 03–00 बीघा कृषि भूमि वादीगण सं. 1 व 2 के पिता व वादी सं. 3 के पति गोपाल पिता लादू लुहार के नाम खातेदारी से व अन्य सहखातेदार कैलाशी पिता लादू लुहार 1/2 नि. बरोदा एवं राधाकिशन पिता नन्दा गुर्जर 1/2 नि. देवनगर के नाम सहखातेदारी से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वाद के पैरा सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादीगण सं. 1 व 2 के पिता व वादीया सं. 3 के पति का नाम रामपाल पिता लादू लुहार दर्ज हैं वाद के पैरा सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में इनका नाम गोपाल पिता लादू लुहार दर्ज है। जो कि दोनो ही नाम गोपाल एवं रामपाल लुहार वादीगण सं. 1 व 2 के पिता व वादीया सं. 3 के पति के ही हैं इन नामों का गॉव में अन्य कोई भी दूसरा व्यक्ति मौजुद नही है। इनका नाम सभी राजकीय दस्तावेजों में आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक खाते की डायरी, मृत्यु प्रमाण

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

पत्र इत्यादी में गोपाल पिता लादू लुहार दर्ज है। किन्तु वादीगण के पूर्वज का गाँव में ही बोलता नाम रामपाल लुहार होने से व इनके अनपढ व ग्रामीण परिवेश के होने के कारण गोपाल उर्फ रामपाल लुहार के पिता जी लादूलाल पिता भूरालाल लुहार की मृत्यु होने पर राजस्व अधिकारी द्वारा विरासत से खाता रददोबदल किये जाते समय पैरा सं. 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रेकार्ड में इनका नाम रामपाल पिता लादू लुहार दर्ज कर दिया गया। एव पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रेकार्ड में इनका नाम गोपाल पिता लादु लुहार दर्ज कर दिया गया। जिससे इनके राजस्व रेकॉर्डो में अलग अलग नाम दर्ज किये गये। वादीगण के पूर्वज गोपाल उर्फ रामपाल लुहार की मृत्यु दिनांक 02.03.2019 को हो चुकी है। वादीगण वाद के पैरा सं. 1 व 2 में वर्णितभूमि के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जाकर वादीगण दुर्गेश, विमला के पिता व वादीया सं. 3 छोटी देवी के पति गोपाल पिता लादूलाल एवं रामपाल पिता लादूलाल की मृत्यु होने से इनका नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित करा, इनके नाम के स्थान पर विरासत से वादीगण दुर्गेश, विमला पिता गोपाल उर्फ रामपाल लुहार, छोटी देवी बेवा गोपाल उर्फ रामपाल लुहार के नाम खातेदारी से अंकन किये जाने की उदघोषणा कराना चाहते है। वादी दुर्गेश ने पैरा सं. 1 व 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रेकार्ड में गोपाल उर्फ रामपाल लुहार के नाम दर्ज 1/4 हक व हिस्से की भूमि का वारिसानो वादीगण के नाम विरासत से नामान्तरण खोले जाने के लिये दिनांक 13.03.2020 को पटवारी बरोदा को प्रार्थना पत्र पेश किया। व साथ ही दोनो ही नाम गोपाल उर्फ रामपाल पिता लादु लुहार एक ही व्यक्ति होने संबधी एक शपथ पत्र भी पेश किया, किन्तु कोई कार्यवाही नही होने से दिनांक 13.03.2020 से वादी को वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी सं. 1 कैलाशी व प्रतिवादी सं. 2 राधाकिशन को वाद में सहखातेदार होने से सूचनार्थ फोरमल पक्षकार बनाया है। वादीगण इनके विरूद्व कोई दाद नही चाहते है। एवं प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार जहाजपुर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से इन्हे वाद पूर्व दफा 80 जा. दी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जिससे समय लगेगा जिससे वादीगण द्वारा वाद के साथ दफा 80 2 जा. दी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः वाद के पैरा सं. 1 व 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जाकर वादीगण दुर्गेश, विमला के पिता व वादीया सं. 3 छोटी देवी के पति गोपाल पिता लादूलाल एवं रामपाल पिता लादूलाल की मृत्यु होने से इनका नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित करा, इनके नाम के स्थान पर विरासत से वादीगण दुर्गेश, विमला पिता गोपाल उर्फ रामपाल लुहार, छोटी देवी बेवा गोपाल उर्फ रामपाल लुहार के नाम खातेदारी से अंकन किये जाने की डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलेक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

वादी ने वाद पत्र की ताईद में खाता सं. 251 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की प्रति प्रदर्श 1, खाता सं. 35 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की प्रति प्रदर्श 2, गोपाल लाल लुहार का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति, बैंक खाते की पास बुक की प्रति, ग्राम पंचायत द्वारा जारी परिचय पत्र व सजरा, वादी दुर्गेश का 50 रू. के स्टाम्प पर शपथ पत्र, नामान्तरण खोलने हेतु प्रार्थना पत्र पेश की, जो शामिल पत्रावली है। तथा गवाह बयान में दुर्गेश, पी डब्ल्यु 1, रामलाल पी डब्ल्यु 2, सोजीराम पी डब्ल्यु 3 के बयान प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने बताया की उक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में वादीगण सं. 1 व 2 के पिता व वादीया सं. 3 के पति का नाम रामपाल पिता लादू लुहार दर्ज हैं वाद के पैरा सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में इनका नाम गोपाल पिता लादू लुहार दर्ज है। जो कि दोनो ही नाम गोपाल एवं रामपाल लुहार वादीगण सं. 1 व 2 के पिता व वादीया सं. 3 के पति के ही हैं इन नामों का गॉव में अन्य कोई भी दूसरा व्यक्ति मौजुद नही है। इनका नाम सभी राजकीय दस्तावेजों में आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक खाते की डायरी, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादी में गोपाल पिता लादू लुहार दर्ज है। किन्तु वादीगण के पूर्वज का गॉव में ही बोलता नाम रामपाल लुहार होने से व इनके अनपढ व ग्रामीण परिवेश के होने के कारण गोपाल उर्फ रामपाल लुहार के पिता जी लादूलाल पिता भूरालाल लुहार की मृत्यु होने पर राजस्व अधिकारी द्वारा विरासत से खाता रददोबदल किये जाते समय पैरा सं. 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रेकार्ड में इनका नाम रामपाल पिता लादू लुहार दर्ज कर दिया गया। एव पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रेकार्ड में इनका नाम गोपाल पिता लादु लुहार दर्ज कर दिया गया। जिससे इनके राजस्व रेकॉर्डो में अलग अलग नाम दर्ज किये गये। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जाकर वादीगण दुर्गेश, विमला के पिता व वादीया सं. 3 छोटी देवी के पति गोपाल पिता लादूलाल एवं रामपाल पिता लादूलाल की मृत्यु होने से इनका नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित करा, इनके नाम के स्थान पर विरासत से वादीगण दुर्गेश, विमला पिता गोपाल उर्फ रामपाल लुहार, छोटी देवी बेवा गोपाल उर्फ रामपाल लुहार के नाम खातेदारी से अंकन किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाना फरमावे।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा आराजी नं. 844/1, 1004/848 कुल किता 02 रकबा 10—00 बीघा के राजस्व रेकार्ड में रामपाल पिता लादू लुहार एवं पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि आराजी नं. 1008/848 कुल किता 01 रकबा 03—00 बीघा के राजस्व रेकार्ड में गोपाल पिता लादु लुहार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

पत्रावली में प्रस्तुत संरपच ग्राम पंचायत बरोदा द्वारा जारी परिचय पत्र एवं सजरा एवं गवाह रामलाल, पी डब्ल्यु 2, सोजीराम पी डब्ल्यु 3 के बयानों से स्पष्ट है कि रामपाल एवं गोपाल एक ही व्यक्ति है। तथा वादीगण गोपाल उर्फ रामपाल के वारिसान है। उक्त कृषि भूमि वादीगण के पति, पिता के 1/4 हिस्सा दर्ज है, जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी खाता सं. 251 व 35 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की प्रति प्रदर्श 1 व 2 से होती है। उक्त वर्णित भूमि के खातेदार वादीगण के पति, पिता की मृत्यु हो चुकी है। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति से होती है। विरासत के अनुसार उक्त कृषि भूमि के वारिस वादीगण होने से वादीगण को उक्त कृषि भूमि के खातेदार घोषित किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम बरोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 844/1, 1004/848 कुल किता 02 रकबा 10-00 मे राजस्व रेकार्ड में रामपाल पिता लादू लुहार का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर एवं आराजी नं. 1008/848 कुल किता 01 रकबा 03-00 बीघा के राजस्व रेकार्ड में गोपाल पिता लादु लुहार का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर विरासत से वादीगण दुर्गेश, विमला पिता गोपाल उर्फ रामपाल लुहार, छोटी देवी बेवा गोपाल उर्फ रामपाल लुहार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

1. दुर्गेश पिता गोपाल उर्फ रामपाल लुहार नि. बरोदा तह. जहाजपुर
2. विमला पुत्री गोपाल उर्फ रामपाल लुहार नि. बरोदा तह. जहाजपुर
3. छोटी देवी बेवा गोपाल उर्फ रामपाल लुहार नि. बरोदा तह. जहाजपुर

वादीगण.........

बनाम

1. कैलाशी पिता लादू लुहार नि. बरोदा तह. जहाजपुर
2. राधाकिशन पिता नन्दा गुर्जर नि. देवनगर तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण..............

दावा बाबत – **88, 89 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 31/2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अखलाक खान का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम बरोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 844/1, 1004/848 कुल किता 02 रकबा 10–00 मे राजस्व रेकार्ड में रामपाल पिता लादू लुहार का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर एवं आराजी नं. 1008/848 कुल किता 01 रकबा 03–00 बीघा के राजस्व रेकार्ड में गोपाल पिता लादु लुहार का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर विरासत से वादीगण दुर्गेश, विमला पिता गोपाल उर्फ रामपाल लुहार, छोटी देवी बेवा गोपाल उर्फ रामपाल लुहार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख२०.06.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner